



**કાર્યાલય : અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ,
જ્ઞારખણ્ડ, રાઁચી ।**

વન ભવન, ડોરણા, રાઁચી

e-mail : pccf-development@gov.in

ફોન - 0651-2481813/ 9304727852



પત્રાંક : 01 / યોબજટ-36 / 2019- 467

દિનાંક : 21/6/2021

પ્રેષક,

અપર પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ
જ્ઞારખણ્ડ, રાઁચી ।

સેવા મેં,

વન પ્રમણલ પદાધિકારી, વન્યપ્રાણી પ્રમણલ, હજારીબાગ / વન્યપ્રાણી પ્રમણલ,
રાઁચી / ઉપ વન સંરક્ષક એવં ક્ષેત્ર નિદેશક, ગજ પરિયોજના, જમશેદપુર / ઉપ
નિદેશક, પલામૂ વ્યાઘ્ર પરિયોજના, ઉત્તરી પ્રમણલ, મેદિનીનગર / પલામૂ વ્યાઘ્ર
પરિયોજના, દક્ષિણી પ્રમણલ, મેદિનીનગર ।

વિષય :-

વિત્તીય વર્ષ 2021-22 મેં કાર્યાન્વિત કી જાને વાલી "વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ એવં
અપરાધ નિયંત્રણ" યોજના (અન્ય વ્યય) કે અંતર્ગત પર્યાવાસ ઉન્નયન અંતર્ગત
બ્યાસ ગૈબિયન મેં ફલદાર પૌદોની કા વૃક્ષારોપણ, નયે ગ્રાસલેંડ નિર્માણ એવં
વન્યપ્રાણી પર્યાવાસ કા વિકાસ ઉન્નયન કા સમ્પોષણ કાર્ય (તૃતીય વર્ષ) હેતુ
કુલ રૂ0 50.764 લાખ (પચાસ લાખ છિહ્નતર હજાર ચાર સૌ રૂપયે)
માત્ર રાશિ કા ઑન લાઈન ઉપ આવંટન (Online Sub Allotment) ।

પ્રસંગ:-

વિભાગીય સ્વીકૃત્યાદેશ સંખ્યા 4 / યોબજટ-38 / 2019-48 / સ્વી0 વ૦૫૦
દિનાંક-22.10.2019 એવં વિભાગીય આવંટન આદેશ સંખ્યા 04 / યોબજટ-18 /
2020-08 / આ0 વ૦૫૦ દિનાંક 28.05.2021 ।

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષયક પ્રસંગાધીન પત્ર કે આલોક મેં બજટ મુખ્ય શીર્ષ 2406-
વાનિકી તથા વન્ય પ્રાણી, ઉપ મુખ્ય શીર્ષ-01 વાનિકી, લઘુ શીર્ષ-101 વન સંરક્ષણ, વિકાસ
તથા સમ્પોષણ, ઉપ શીર્ષ-61-વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ એવં અપરાધ નિયંત્રણ યોજના કે તહત વિત્તીય
વર્ષ 2021-22 મેં ઉપબંધ કે અંતર્ગત સ્વીકૃત રાશિ મેં કુલ રૂ0 50.764 લાખ (પચાસ લાખ
છિહ્નતર હજાર ચાર સૌ રૂપયે) માત્ર કા ઉપ આવંટન નિર્માલિખિત ઇકાઈયોને મેં કિયા જાતા
હૈનું:

પ્રાથમિક ઇકાઈ	વિપત્ર કોડ	(રાશિ લાખ મેં)
મજદૂરી	19S240601101610103	41.902
આપૂર્તિ એવં સામગ્રી	19S240601101610323	8.862
કુલ :-		50.764

2. ઇસ રાશિ કી નિકાસી એવં વ્યયન પદાધિકારી અનુલગ્નક-1 પર વર્ણિત વન
પ્રમણલ પદાધિકારી હોંગે જો અપને સમુખ અંકિત કાર્યોની રાશિ સે અપને-અપને કાર્યાલયોની
કાર્યોની લિએ ઉત્તરદાયી હોંગે એવં વિભાગ કો સસમય ભૌતિક એવં વિત્તીય પ્રગતિ પ્રતિવેદન
તથા ઉપયોગિતા પ્રમાણ પત્ર સમર્પિત કરોંગે । કાર્યદર અનુલગ્નક-2 (ક) સે (ગ) તથા ઑન
લાઈન ઉપ આવંટન કી પ્રતિ અનુલગ્નક-3 પર દ્રષ્ટવ્ય હૈ ।

3. ઇસ યોજના કા કોડ સંખ્યા-19S240601101610103, 19S240601101610323
હૈ, જો કોષાગાર સે રાશિ નિકાસી કે લિએ પ્રસ્તુત વિપત્રોની એવં વ્યય પ્રતિવેદન મેં અનિવાર્ય રૂપ
સે અંકિત કિયા જાએગા ।

નું

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/योबजट-36/2019- 467 दिनांक- 21/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/योबजट-36/2019- 467 दिनांक- 21/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली “वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।	1. हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		2. कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		3. गौतमबुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		4. लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		5. उधवा झील पक्षी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.074	0.209	1.283
हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :-				9.666	1.877	11.543
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।	पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.074	0.209	1.283
		(ii) नये ग्रासलैंड का विकास (5 हेए)	5	0.545	0.175	0.720
राँची वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :-				1.619	0.384	2.003
3	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।	दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	1670	5.979	1.160	7.139
		(ii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन	70	1.591	0.000	1.591
गज परियोजना, जमशेदपुर का योग :-				7.570	1.160	8.730
4	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	पलामू व्याघ्र आरक्ष:- (i) नये ग्रासलैंड निर्माण (100 हेए)	100	10.897	3.500	14.397
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :-				10.897	3.500	14.397



क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
5	उप निदेशक, पलामू व्याप्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	(i) नये ग्रासलैंड निर्माण (49.5 हेक्टर)	49.5	5.394	1.732	7.126
		(iii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन (250 हेक्टर)	250	5.682	0.000	5.682
		(iv) नेतरहाट में मैग्नीलिया घार्ड के परिवेश में मैग्नोलिया प्रजाति के पौधों का बॉस गैबियन के साथ पौधारोपण	300	1.074	0.209	1.283
		दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :-		12.150	1.941	14.091
सकल योग:-				41.902	8.862	50.764

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योवजट-38 / 2019-48 / स्वी० व०प० दिनांक-22.10.2020

अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (क)

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) :

311.33

कार्य दर प्रति हेतु

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2272.71	0.00	2272.71	घेरान, कंटर ट्रैक की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/ कटबैक/ सिंगलिंग
	योग—		7.30	2272.71	0.00	2272.71	

अनुलग्नक-2 (ख)

योजना का नाम— पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण
की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस—गैबियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"

पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी0

2. स्पेसिंग —

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी0

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 311.33 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्पे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	46.70	4.50	51.20	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	155.67	5.00	160.67	
3	बाँस गैबियन का मरम्मति एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	155.67	60.00	215.67	
	योग		1.15	358.03	69.50	427.53	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

पलामू व्याघ आरक्ष में 1 हेठो वनभूमि में घासस्थलों के विकास एवं रख-रखाव कार्यों
हेतु कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 311.33 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	आभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	घास के मैदान का रख-रखाव, बीड़ कटाई/निकाई, कम्पोस्ट एवं गोबर खाद का उपयोग, बीजों का आवश्यकतानुसार रोपण/छिड़काव सुरक्षा	35.00	10896.55	3500.00	14396.55	
	योग	35.00	10896.55	3500.00	14396.55	

अपर प्रधान मर्यादित वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं



पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/467

दिनांक -

21-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते	27330	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	966,600.00 रुपये नी लाख छाँड हजार छ: सौ
2	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते	27333	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	161,900.00 रुपये एक लाख इक्सठ हजार नौ सौ
3	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-बन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते	27336	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 03 - मजदूरी	757,000.00 रुपये सात लाख सत्तावन हजार
योग: क्रमिक योग:				1,885,500.00
रुपये अठारह लाख पिचयासी हजार पौंच सौ				
<i>(NAND KISHORE SINGH) ADDL. BPF C DEV JHARKHAND</i>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110161010103	27337	PLMFOR069	1,089,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भ्रते		KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	रुपये दस लाख नवासी हजार सात सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110161010103	27338	PLMFOR068	1,215,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भ्रते		MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	रुपये बारह लाख पंद्रह हजार
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110161010323	27341	HZBFWL016	187,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय		AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	रुपये एक लाख सित्यासी हजार सात सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीरयासी लाख सित्योत्तर हजार नौ सौ			2,492,400.00
क्रमिक योग:				4,377,900.00
			 (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCC/DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27343	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड्डतीस हजार चार सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27345	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	116,000.00 रुपये एक लाख सोलह हजार
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27346	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	350,000.00 रुपये तीन लाख पचास हजार
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये अड्डतालीस लाख बयासी हजार तीन सौ			504,400.00
क्रमिक योग:				4,882,300.00
			 (NAND KISHORE SINGH) ADDI PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110161010323	27352	PLMFOR068	194,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MUKESH KUMAR	रुपये एक लाख चौरानवे हजार एक सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		DY.DIR.TIGER.PRO.S	
	61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण		UTH.DIV.MED	
	01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण			
	03 - प्रशासनिक व्यव		23 - आषुरि एवं सामरी	

State Scheme : NA
 Central Scheme : NA



योग:	रुपये पचास लाख छहत्तर हजार चार सौ	194,100.00
क्रमिक योग:		5,076,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
 ADDL PCOF DEV JHARKHAND